बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–16 / 2011 / पटना, दिनांक–

प्रेषक

(आ0) बी0 राजेन्दर,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों की सोलह पथों एवं पुलों का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के 14 पुलों एवं 2 पथों (सूची संलग्न) जिनकी राशि 2.5 करोड़ से अधिक एवं 10 करोड से कम है एवं कुल राशि 63.89897 करोड़ रूपये (तिरेसठ करोड़ नवासी लाख नवासी हजार सात सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्षों अर्थात 2011–12 एवं 2012–13 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. योजनाओं के लिए कार्यपालक अभियंता, से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों के समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाय।
3. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
5. इन योजनाओं का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 मे 20339.00 लाख रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
8. इन योजनाओं की स्वीकृति प्राधिकार विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–16 / 2011 में दिनांक 10.08.11 को संचिका के पृ0 9 / टि0 पर प्राप्त है।
9. विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक–04.08.11 को इन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं [illegible] विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 के आलोक में आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार [illegible] सहमति संचिका सं0– मु0अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–16/2011 के पृष्ठ संख्या–12 /टि0 पर दिनांक–23.8.11 को प्राप्त है।

11. इन योजनाओं पर नाबार्ड द्वारा स्वीकृति हेतु योजनाओं के प्राक्कलन की एक–एक प्रति पत्रांक–मु0 अ0–4–नाबार्ड –03–15/08–2238 अनु0 दिनांक 28.07.11 के माध्यम से नाबार्ड को भेजा गया है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डा0 बी0 राजेन्दर)

सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–16/2011 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– संबंधित जिला के कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–16/2011 -2548-अनु0- /पटना, दिनांक-24-08-2011.

प्रतिलिपि–मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना, दरभंगा, नालंदा, गया, मुंगेर, प0 चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, मधुबनी एवं भोजपुर/उप विकास आयुक्त, पटना, दरभंगा, नालंदा, गया, मुंगेर, प0 चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, मधुबनी एवं भोजपुर/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, BRRDA, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता –1 पटना, मु0 अ0–2 भागलपुर, मु0 अ0–3, हाजीपुर एवं 4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, दरभंगा, पटना, गया, मुंगेर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, छपरा एवं सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, दरभंगा, पटना, बिहारशरीफ, गया मुंगेर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीवान, छपरा, मधुबनी एवं आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 24.8.2011

सचिव

परिशिष्ट - क

नाबार्ड से स्वीकृति हेतु पथों / पुलों सम्मिलित सूची :-

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का भौतिक आकार	प्राक्कलित राशि (करोड़ में)
1		3	4
1	दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के बागमती नदी में माधोपट्टी घाट पर आर०सी०सी० पुल निर्माण	4x21 [illegible]	4.01420
2	दरभंगा के तालिमपुर सिंघुआही के निकट कमला नदी पर पुल	4x15 [illegible]	3.29650
3	दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के जगदीशपुर [illegible] पथ जीवछ नदी पर पुल	5x18 [illegible]	4.26890
4	दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत नरकटिया भछुरिया के [illegible] ग्राम से पूरब कोशी बाँध से पश्चिम सेतु का निर्माण	3x18.75 मी०	2.709403
5	पटना जिलान्तर्गत करौटा मोगलपुरा धोवा नदी तक के पथ में (पी०एम०जी०एस०वाई०) धोवा नदी पर पुल निर्माण	4x18.75 मी०	3.65372
6	नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर प्रखंड के हलदारी पर गाँव के समीप दो प्रखंडों को जोड़ने हेतु पुल निर्माण	50 मी० (5x18.72 मी०)	2.90530
7	गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड के [illegible] गाँव [illegible] ग्राम के बीच पुल निर्माण	5x18 [illegible]	2.61710
8	गया जिलान्तर्गत निमचक बथानी प्रखंड में ग्राम [illegible] एवं तलारी के बीच [illegible] नदी पर आर०सी०सी० पुल निर्माण	5x18 [illegible]	3.2527
9	[illegible] जिला के घोघट गाँव के [illegible] नदी पर स्थित स्क्रू पाईल पुल के स्थान पर आर०सी०सी० पुल निर्माण	3x18 [illegible]	2.588150
10	[illegible] चम्पारण जिला बेतिया [illegible] मझौलिया प्रखंड [illegible] पुल	[illegible]	7.74890
11	[illegible] जिलान्तर्गत [illegible] पुल निर्माण	[illegible]	6.30280
12	[illegible] जिला के ग्राम [illegible] पुल [illegible] निर्माण	3x12 [illegible]	2.81790
13	[illegible] जिला के [illegible] प्रखंड अन्तर्गत [illegible] में [illegible] नदी पर आर०सी०सी० पुल	[illegible]	4.59320
14	गया जिलान्तर्गत अतरी प्रखंड के [illegible] से इमलिया [illegible] तक पथ एवं पुल	[illegible]	5.26440
15	[illegible] जिला के [illegible] सड़क का निर्माण	[illegible]	5.21680
16	[illegible] जिलान्तर्गत ग्राम [illegible] से [illegible] ग्राम तक सड़क निर्माण	[illegible]	2.54900
			63.89897

23-8-2011

(डा० बी० राजेन्दर)
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग